

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:-37( )/परावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्था-द्वितीय/2018/2780

जयपुर दिनांक 20.8.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद- जयपुर/दौसा/जालौर/झालावाड।

विषय:-कार्मिकों के स्थानान्तरण बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्न कार्मिकों के संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान कर स्थानान्तरण आदेश जारी कर अविलम्ब अवगत करावें ।

क्रसं.	सर्व श्री/ श्रीमती/ सुश्री, मय पद नाम	कहां से	कहां को
1.	सुरेश कुमार चौधरी, कनिष्ठ सहायक	जिला परिषद जयपुर	प.स. गोविंदगढ (जयपुर)
2.	अनोप सिंह, कनिष्ठ सहायक	प.स. जालसू (जयपुर)	प.स. शाहपुरा (जयपुर)
3.	मोहन लाल गुर्जर, वरिष्ठ सहायक	प.स. सिकराय (दौसा)	जिला परिषद दौसा
4.	शांति लाल वरिष्ठ सहायक	प.स. जसवंतपुरा (जालौर)	प.स. भीनमाल (जालौर)
5.	उदा राम देवासी, कनिष्ठ सहायक	प.स. भीनमाल (जालौर)	प.स. जसवंतपुरा (जालौर)
6.	विनिता यादव, कनिष्ठ सहायक	प.स. मनोहर थाना (झालावाड)	प.स. खानपुर (झालावाड)
7.	सुनीता मीणा, कनिष्ठ सहायक	प.स. अकलेरा (झालावाड)	जिला परिषद झालावाड
8.	महेश मजीठियां, कार्यालय सहायक	प.स. विराटनगर (जयपुर)	अन्य पंचायत समिति में करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव  
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद ।
4. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

20/8/2024  
संयुक्त शासन सचिव  
एवं संयुक्त आयुक्त